जिला जनसम्पर्क कार्यालय, खूँटी

दिनांक 06.03.2018

प्रेस विज्ञप्ति

आज अंड़की प्रखण्ड के किसान भवन में एक सभा का आयोजन किया गया। जिसमें गांवों के ग्राम प्रधान, मुखिया, जनप्रतिनिधि, प्रमुख, उप प्रमुख एवं पूर्व जिला परिषद् सदस्य एवं ग्रामीणों ने भाग लिया। उक्त बैठक असामाजिक तत्वों द्वारा ग्रामों में पत्थरगड़ी की आड़ में लोगों को दिग्भ्रमित करने तथा विधि–व्यवस्था खराब करने के हो रहे प्रयास के विरोध में की गई। इस बैठक में बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त, खूंटी श्री सूरज कुमार ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुण्डा के शहादत को हम नमन करते हैं। आज हम सभी एक नेक कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं। आज जो विषय चल रहा है वह विषय पारंपरिक पत्थरगड़ी का नहीं है। जो पत्थरगड़ी कर लोगों के बीच गलत संदेष फैलाया जा रहा है उसके बारे में है। उन्होंने कहा कि भारत आजाद देष है। आज कोई भी बातें सुनने के पहले हमें यह सोचना है कि वह हमारे लिए कितना हितकारी है। हमारे देष में लोकतंत्र के चार स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एवं प्रेस–मीडिया। संसद, विधानसभा, पंचायती राज एवं ग्राम सभा हमारे लोकतंत्र के अंग हैं। पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए विषेष अधिकार दिए गए हैं ताकि लोगों को सही लाभ मिले। लोकतंत्र में संविधान उल्लेखित मौलिक अधिकार को सर्वोपरि माना गया है। विकास विरोधी ताकतें गांधी–इरविन समझौता, भारत सरकार अधिनियम 1935 का हवाला देकर कहते हैं कि भारतीय संविधान के संषोधन के लिए इंग्लैंड से अनुमति लेनी होगी, तो क्या भारतीयता के मानक का निर्णय आज भी कोई पंथ करेगा जबकि संविधान के अनुच्छेद 395 द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 को खारिज कर दिया गया है। यह भारत के संप्रभुता पर कुठाराघात है। उपायुक्त ने आधार कार्ड की महत्ता पर कहा कि आपके भारतीय होने का प्रमाण आधार कार्ड देता है। आधार कार्ड लोगों के भलाई के लिए बनाया गया है ताकि भ्रष्टाचार रोकने तथा लाभुकों की सीधी पहचान कर उसी को योजना का लाभ पहुंचाने के लिए सराहनीय कदम है। हम अपने कल्याण के लिए जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, यही लोकतंत्र का मूल स्वरूप है। संविधान की पांचवीं अनुसूची में भी उल्लेखित है कि कार्यपालिका की कार्यषक्ति पांचवीं अनुसूची में भी विस्तारित हैं। हमें विवेचना करने की जरूरत है कि विकास योजनाओं का चयन कैसे ग्राम सभा को माध्यम से हो और हमें उसका लाभ मिले। सबसे अच्छा तरीका भी यही है। उन्होंने कहा कि जितनी आंखें होगी योजनाओं में पारदर्षिता उतनी अच्छी होगी। इसमें गुणवत्ता भी आएगी। आप हमें सहयोग करें विकास योजनाओं को आप तक पहुंचाने का कार्य हम करेंगे। जो भी योजनाएं आप बनाकर देंगे उसपर जिला द्वारा अविलंब अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजनाओं के प्रति हमें जागरूक होना होगा। जो भी विकास

योजनाओं का विरोध करते हैं, वे स्वयं अच्छी नौकरी एवं अच्छी षिक्षा इत्यादि का लाभ ले रहे हैं तथा ग्रामीणों को सरकारी लाभ लेने एवं षिक्षा से वंचित कर रहे हैं। आपको सोचना है कि आपके लिए क्या बेहतर है। योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर करने की जरूरत है। मेहनत दुगुनी–तिगुनी करने की आवष्यकता है। जिला प्रषासन का दरवाजा 24 घंटे जनता के लिए खुला है। आज हम एक अच्छे समाज, विकसित समाज, षिक्षित समाज बनाने की परिकल्पना को साकार करने की दिषा में संकल्प लें।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक खूंटी ने कहा कि क्षेत्र का नासुर माओवाद एवं उग्रवाद का प्रभाव आपके सहयोग एवं लगातार प्रयास से काफी कम हुआ है। आपने और पुलिस प्रषासन ने इसके लिए कई कुर्बानियां दी है। माओवाद–उग्रवाद से उबरने के बाद एक नया चेहरा सामने आ रहा है जो विकास का बाधक है। क्षेत्र के विकास के लिए शांति की आवष्यकता होती है। विकास विरोधी लोग चाहते हैं कि आप अपने अधिकारों से वंचित रहें एवं विकास में पीछे रहें। जिन गांवों में पत्थरगड़ी की जा रही है उन गांवों के आसपास अफीम की खेती की जा रही है। अफीम की खेती के विरूद्ध पुलिस प्रषासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। यह अफीम आपके नई पीढ़ी एवं जमीन को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। अंबेदकर ने वंचितों के लिए संविधान में प्रावधानों को बनाया। ये विकास विरोधी उनसे भी आगे बढ़कर बोल रहे हैं। अब विकास तेजी से होने वाला है, आप एक कदम बढ़ाएं प्रषासन छः कदम बढ़ाएंगे। इस अवसर पर जिला में चल रही योजनाओं की जानकारी पदाधिकारियों के द्वारा दी गई। पूर्व में ग्राम प्रधान जिउरी श्री बिरसा मुण्डा ने कहा कि वर्तमान में जो पत्थरगड़ी की जा रही है वह पारंपरिक पत्थरगड़ी से भिन्न है तथा पत्थरगड़ी की आड़ में संविधान की गलत व्याख्या कर लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। उन्हें सरकार के विकास योजनाओं से वंचित करने की कोषिष की जा रही है। हम सभी पत्थरगड़ी के इस स्वरूप का विरोध करते हैं। श्री अनुप साहु ने भी पत्थरगड़ी के इस स्वरूप को लोगों के बीच बिलगाव पैदा करनेवाला बताया। बैठक में जिले के अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, अनुण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी रवीन्द्र गागराई, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी सामाजिक सुरक्षा, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमण्डल समेत जिला के कई वरीय पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अंड़की, प्रमुख अंड़की, विभिन्न गांवों के ग्राम प्रधान, मुखिया आदि उपस्थित थे।